


विद्या संबल योजना (सत्र-2021-22) आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय.....

1. आवेदक का नाम.....
2. पद (सेवानिवृत्त होने पर).....
3. पिता का नाम.....
4. माता का नाम.....
5. जन्म दिनांक.....
6. मोबाईल न.वाट्सएप न.
7. मेलआईडी.....
8. स्थायी पता.....
9. शैक्षणिक योग्यता.....



क्र.सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	10 वीं					
2	12 वीं					
3	स्नातक					
4	अधिस्नातक					
5	एम. फिल					
6	पीएच.डी.					
7	जेआरफ सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट या सैट					

10. शोध प्रकाशन/शोधोपरान्त अनुभव/पुरस्कार आदि का विवरण

- i. शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे) –लेखक/लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाइटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- ii. शिक्षण/पोस्टडॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण
- iii. पुरस्कारों का विवरण –
 - अ. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
 - ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपने पी.पी.ओ. एवं निजी आवास के पूर्ण पते की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।

शपथ गृहिता के हस्ताक्षर

नोट :-

1. आवेदन पत्र A4 साइज में टाइप करवायें।
2. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा पुरस्कारों के प्रमाण स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित हों।
3. शपथ पत्र 50 रु के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
4. स्थायी पता का प्रमाण व आधार कार्ड की प्रति आवेदन के साथ लगायें।
5. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत संचालित गेस्ट फैंकल्टी के नियम एवं शर्तों में परिवर्तन का अधिकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को होगा। वह सभी को मान्य होगा।